न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 09/2014 तारीख रजू:– 15.09.2014

उँकारनाथ दत्तक पुत्र जगन्नाथ प्रसाद निवासी चेतराम कॉलोनी स्टेशन रोड, हिण्डौन सिटी

:– अपीलान्ट

बनाम

1 रेवती प्रसाद पुत्र सोनाराम
2 अनिल कुमार उर्फ रमेश पुत्र रेवती
3 राजकुमार पुत्र रेवती प्रसाद
4 विजय कुमार पुत्र रेवती प्रसाद

जातियान मीना निवासीयान निठार वाले पैट्रोल पम्प के पिछे हिण्डौनसिटी जिला करौली

5 चन्द्रकान्ता पत्नि संजीब कुमार मीना निवासी अग्रवाल पेट्रोलपम्प के पास हिण्डौन सिटी
6 हरपति देवी पत्नि राजीव कुमार निवासी निठार तहसील वैर, जिला भरतपुर
7 भारतभूषण पुत्र रंगीलाल जाति मीना निवासी निठार तहसील वैर, जिला भरतपुर
8 लक्खीराम पुत्रत्र रंगीलाल जाति मीना निवासी रंगीलाल भवन कैलादेवी रोड, करौली
9 देववृत पुत्र रंगीलाल जाति मीना निवासी रंगीलाल भवन कैलादेवी रोड, करौली
10 सन्तरा देवी पत्नि अनिल उर्फ रमेश
11 मोहनी देवी पत्नि राजकुमार
12 रूपवती पत्नि विजय

जातियान मीना निवासीयान निठार वाले पैट्रोल पम्प के पिछे हिण्डौनसिटी जिला करौली

13 आयुक्त नगरपरिषद हिण्डौन जिला करौली

–रेस्पोडेन्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 327 राजस्थान नगपालिका अधिनियम विरूद्व आदेश तारीखी 27.07.2013 जिसके द्वारा विपक्षी नम्बर 2 ता 4 व 7,10,11,12,के हक में प्लाट नम्बर 1,2,3 व 6,10,11,12 के तथा दिनांक 19.08.2013 जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 5 के हक में प्लाट नम्बर 4 का तथा तारीखी 13.08.2013 जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 5 ता 9 के हक में प्लाट नम्बर 5 व 7,8,9,के पट्टे जारी किये गये है।

निर्णय दिनांक 11.09.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानी गुजार ने निगरानी अनावेदक संख्या 13 द्वारा दिनांक 27.07.2013,19.08.013,व 13.08.2013 को अनावेदकगण नं. 2 ता 12 के हक में जारी किये गये विभिन्न पट्टो से अप्रसन्न होकर पेश की है। कस्वा हिण्डौन में आराजी खसरा नं. 2065 रकबा 29 ऐयर है जिसमें अनावेदकगण नं. 2 ता 12 को अनावेदक नं. 13 द्वारा अलग अलग पट्टे खिलाफ कानून व गैरकानूनी तरीके से जारी किये गये है। आवेदक

पडी भूमि व उक्त डण्डा को तोड कर सभी ने मिल कर जवरन कब्जा करने पर आमदा हुए ओर खसरा नं. 2067 में जो हिस्सा आवेदक को आता जिससे अनावेदकगण 1 ता 13 का कोई सम्बंध नही है। खसरा नं. 2065 रकवा 29 ऐयर भूमि को अपने लेआउट प्लान में 35306 वर्गफिट जमीन बताकर पट्टे प्राप्त किये है प्रतिऐयर में 189 वर्गफिट के हिसाव से 29 ऐयर भूमि में 31581 वर्गफिट भूमि होती है। 3725 वर्गफिट अधिक भूमि किस प्रकार से कहा से आई कोई अंकित नही है। इस प्रकार से अनावेदकगण 1 ता 12 अनावेदक 13 से मिलकर अधिक भूमि में सें पट्टा जारी करा लिया गया है जो कानूनी विरूद्व है इस सम्बंध में आवेदक द्वारा अनावेदकगणो से कहा गया तो उन्होने धमकी दी गई ओर कहा की हमने नगनपालिका से पट्टा ले लिया गया है समस्त भूमि हमारी है। अंत में निगरानी पेश कर निवेदन है कि नगरपालिका द्वारा जारी पट्टो की जॉच करते हुए निगरानी स्वीकार फरमाई जावे।

निगरानी दर्ज पंजिका कर अनावेदकगणो को जरिये नोटिस तलव किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त की गई। अनावेदकगण जरिये वकालान्तन उपस्थित आये।

अभिभाषकगणो की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वकील निगरानीगुजार ने अपने बहस कथन में निगरानी मीमो को दोहराते हुए कहा की विवादित भूमि का रकवा 0.29 है0 है। जिसमें कुल 31581 वर्गफिट जमीन होती है। किन्तु नगरपालिका हिण्डौन द्वारा 35300 वर्गफिट के पट्टे जारी कर दिये गये है अधिक जमीन कहा से आई अपने प्लान आदि में दर्शित नही किया गया है। रकवे के सम्बंध में नगरपालिका को आवेदक द्वारा पूर्व में ही अवगत करा दिया गया था इस प्रकार से ध्यान न दिया जाकर मिलिभगत से पट्टे जारी किये गये है जो कानूनन विरूद्व है अंत में निगरानीगुजार स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अनावेदक की ओर से लिखित बहस में कथन कहा गया है कि कानूनन जो निगरानी पेश कि गई है जिसे एक साथ मे अलग–अलग तारीख की पेश नही की जा सकती है। निगरानी सुनने का अधिकार श्रीमान को न होकर स्वायत विभाग के अधिकारीगणो को है जिसकी अधिसुचना 31.03.2010 को जारी की हुई है। सभी जारी पट्टे सवरजिस्ट्रार से पंजियन हो चुके है। निगरानी म्याद बहार है। विवादित भूमि खसरा नं. 2065 में रेंस्पोडेण्ट रेवती प्रसाद की खातेदारी व कब्जे की भूमि है जो मुताविक नक्शा अनुसार उसका क्षैत्रफल 12008 वर्गगज बनता है जिसमे आवेदक का हिस्ता 8 ऐयर यानी 968 वर्गगज बनता है। इस भूमि बावत दिनांक 23.05.2013 को राजीनामा होना बताया गया है। जो निगरानी/अपील में पोषनिय नही है। आवेदक द्वारा कभी भी भूमि का सीमाज्ञान नही कराया गया है। इस विवादित पट्टो के सम्बंध में सिविल न्यायालय में एक बार नं. 73/14 उनवानी उॅकारनाथ बनाव रेवती प्रसाद विचाराधीन है अंत में निगरानी खारिज करने का निवेदन किया है।

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर नगरपालिका हिण्डौन के द्वारा जारी पट्टे के सम्बंध में नगरपालिका अधिनिम के नियम 327 के तहत निगरानी के सम्बंध का है। जिसमें अनिगरानीगुजार ने अपनी लिखित बहस में भी यह दर्शित किया गया है कि निगरानी सुनने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर अन्य को है। जिसकी ताहीद में वकील अनिगरानीगुजार नें नगरीय विकास

सुनने का अधिकार इन्ही को है। जहा पर वकील निगरानीगुजार का कथन था की निगरानी सुनने का अधिकार राज. सरकार को है। ओर ये सभी अधिकार जिला कलक्टर मे समाहित है। वहा पर इस अधिसुचना के खिलाफ कोई आदेश आदि पेश नही कियो गये है। जिससे विदित है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 327 में पट्टे की निगरानी का अधिकार स्वायत विभाग के अधिकारी को ही है। जो अपने आप में इस न्यायालय को श्रवणाधिकार नही है।

अतः निगरानी निगरानीगुजार खिलाफ अनावेदकगण की निगरानी उनवानी उँकारनाथ बनाम रेवती प्रसाद वगै0 मु. नं. 09/14 का वॉर्ड वाई लॉ होने पर इसी स्टैज पर खारिज की जाती है तथा निगरानीगुजार सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने में स्वतंत्र रहेगे । निर्णय की प्रति आयुक्त नगरपरिषद हिण्डौन को उनकी पत्रावलीयों के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति0 जिला कलक्टर
करौली